

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

A 6
7

बौद्धासीन अधिकारी-

करतार सिंह,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या
255 / प्रा0पत्र / 17

तारीख दायरा
24.07.2017

तारीख फैसला
19.05.2022

1. शिवराज
 2. भंवरलाल
 3. राजेन्द्र
 4. रमेश
 5. सुरजाबाई बेवा शंभूदयाल जाति लुहार निवासी ग्राम करीरी तहसील नैनवा जिला बून्दी, राजस्थान।
- पि0 शंभूदयाल जाति लुहार निवासी ग्राम करीरी तहसील नैनवा जिला बून्दी, राजस्थान।
- प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश आ0 नारायण जाति लुहार निवासी सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर, राजस्थान।
 2. आवंटन सलाहकार समिति नैनवा जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी, राजस्थान।
- अप्रार्थीगण

उपस्थित-


प्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से-श्री सुरेन्द्र कुमार लाठी एड0
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से-श्री राजकुमार गोयल एड0
अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से-पेरोकार सरकार

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत नियम 17(4) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम, 1973 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी कैलाश आ0 नारायण जाति लुहार को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 5 में से रकबा 15 बीघा जिसके नवीन खसरा संख्या 5/581 वाके ग्राम नाहरगंज आवंटन आदेश दिनांक 25.10.1975 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष समाप्त की गई।

वकील प्रार्थी ने दोराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी कैलाश आ0 नारायण जाति लुहार को आवंटन की पात्रता नहीं रखने पर भी आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा विधि विरुद्ध प्रक्रिया अपनाकर भूमि का आवंटन किया गया है। अप्रार्थी कैलाश ग्राम करीरी तहसील नैनवा का निवासी नहीं होकर ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर का निवासी है। आवंटित भूमि पर 50 वर्षों से अधिक समय से प्रार्थीगण के पिता स्व0 शंभूदयाल के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा प्रार्थीगण के पिता के स्वर्गवास के बाद वर्तमान में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। विवादित भूमि के विषय में विवाद होने पर माननीय उपखण्ड अधिकारी नैनवा ने कब्जे की रिपोर्ट पटवारी हल्का नाहरगंज से तलब की थी, पटवारी रिपोर्ट दिनांक 28.06.1996 में उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पिता का कब्जा काश्त होना बताया गया था। प्रार्थीगण के पिता श्री शंभूदयाल


अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)


A6/2

जीवित अवस्था में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा में एक वाद धारा 88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत वाद संख्या 77/दावा/1995 दायर किया गया था जिसका निर्णय दिनांक 31.10.2003 को प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में डिक्री हो गया है। विवादित कृषि भूमि नामान्तरकरण संख्या 596 दिनांक 10.01.2004 को प्रार्थीगण के पिता के खातेदारी में दर्ज हो चुकी है एवं प्रार्थीगण के पिता के स्वर्गवास के बाद नामान्तरकरण संख्या 1208 दिनांक 20.12.2016 से प्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित की जा चुकी है। उपखण्ड अधिकारी नैनवा के निर्णय व डिक्री के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील पेश की थी, जो खारिज की जा चुकी है। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपील खारिज करने के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की थी, जिसे रिमाण्ड कर पुनः निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है, जो वर्तमान में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां जेरकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी कैलाश को विवादित आराजी खसरा संख्या 5 में से रकबा 15 बीघा जिसके नवीन खसरा संख्या 5/581 वाके ग्राम नाहरगंज आवंटन दिनांक 25.10.1975 को निरस्त किया जावे। वकील प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2001 पेज 442 व आरआरडी 2002 पेज 1 की नजीरें प्रस्तुत की।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी कैलाश को विवादित कृषि भूमि का आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा पूर्ण कोरम में किया गया है। अप्रार्थी कैलाश आवंटनशुद्धा भूमि खसरा संख्या 5 में से रकबा 15 बीघा वाके ग्राम नाहरगंज पर आवंटन से लेकर आज तक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। आवंटन के समय प्रार्थी ग्राम करीरी पटवार हल्का नाहरगंज में निवास करता था उसके बाद लगभग 10 वर्ष पश्चात खाने कमाने के लिए ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर चला गया था। वर्तमान में उक्त भूमि अप्रार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के पश्चात प्रकरण को माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था। तत्पश्चात आरएए कोटा द्वारा प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी नैनवा के यहां प्रतिप्रेषित कर दिया गया है जो जेरकार है। विवादित भूमि के संबंध में नियमित वाद से हक हकूक तय होंगे। प्रार्थी द्वारा आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही लगभग 42 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है जो अवधि बाधित है तथा चलने योग्य नहीं है। आवंटन नियमों में 10 वर्ष पश्चात खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने के निर्देश हैं। वर्तमान में संशोधित नियमों के अनुसार 3 वर्ष में खातेदारी अधिकार देने की अवधारणा की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कर आवंटन आदेश दिनांक 25.10.1975 यथावत रखा जावे। वकील अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2011 पेज 508, आरआरडी 1997 पेज 195 व आरआरडी 1989 पेज 441 की नजीरें प्रस्तुत की।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में व्यक्त किया कि प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हम प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित समझते हैं। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट है कि अप्रार्थी कैलाश को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 25.10.1975 को आवंटन किया गया है। वकील प्रार्थी की यह आपत्ति है कि अप्रार्थी कैलाश ग्राम करीरी में निवास नहीं कर अन्य ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा



अति० जिला क्लर्क
बून्दी (राज०)

A/6/3

सवाईमाधोपुर में निवास करता है। अपने कथनों के समर्थन में पंचायत मतदाता सूची 94 प्रस्तुत की गयी है। वकील प्रार्थी की आपत्ति के खण्डन में वकील अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। नियमों में यह प्रावधान है कि आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि को उसी ग्राम/पटवार मण्डल के भूमिहिन व्यक्तियों को आवंटन के लिए प्राथमिकता दी जावेगी। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि विवादित भूमि के संबंध में वाद वर्तमान में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां जेरकार है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण आवंटन निरस्तीकरण से संबंधित है जिसका क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। पक्षकारान द्वारा विवादित भूमि के संबंध में कोई स्थगन जारी हो, उसके दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में यह आपत्ति उठाई गयी कि प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्तीकरण हेतु लगभग 42 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया है जो अवधि बाधित है तथा चलने योग्य नहीं है। इस संबंध में राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम, 1973 के नियम 17(4) का अवलोकन किया गया जिसमें यह उल्लेखित है कि कलक्टर को कृषि भूमि अधिकतम सीमा विधि के अधीन अर्जित भूमि के आवंटन किया राजस्थान काश्तकारी (भूमि पर अधिकतम सीमा अधिरोपण) (सरकारी) नियम, 1963 जो राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम, 1973 या किसी ओर नियमों, द्वारा किया गया हो, अपने आप या किसी व्यक्ति से प्रार्थना करने पर, यदि आवंटन कपट या दुव्यपदेशन (misrepresentation) के लिये हो या नियमों के विपरीत दिया गया हो या आवंटिती ने आवंटन की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन किया हो, रद्द करने की शक्ति होगी। परन्तु किसी व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिये बिना इसके प्रतिकूल प्रभाव वाला कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकेगा। राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम, 1973 के नियम 17(2)(क), (3)(अ) (1) व (2) के अनुसार भूमि अधिनियम द्वारा राज्य हित में विहित हुई है, उसका आवंटन उसी गांव पंचायत में रहने वाले जिसमें भूमि हो और उनमें से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जावेगी। प्रकरण में दस्तावेज से यह जाहिर आया कि अप्रार्थी कैलाश ग्राम करीरी का निवासी नहीं होकर ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर का निवासी है जिससे यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा तथ्य छुपाकर आवंटन करवाया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परीक्षणोपरान्त अप्रार्थी कैलाश को किये गये आवंटन को निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतएव: परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कैलाश को आवंटित आराजी खसरा संख्या 5 में से रकबा 15 बीघा जिसके नवीन खसरा संख्या 5/581 वाके ग्राम नाहरगंज आवंटन आदेश दिनांक 25.10.1975 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 19.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


अति० जिला कलक्टर,
बूंदी (राज०)
बूंदी